(b) if so, the main features thereof; and

(c) when the machinery is expected to be set up ?

THE MINISTY OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) A decision has been taken in regard to the broad outlines of the proposed machinery. The details are being worked out.

(b) The outlines of the proposed machinery were stated by the Minister in the Ministry of Home Affairs on 16th December, 1968 in the Sabha during discussion on the Essential Services Maintenance Ordinance, 1968.

(c) The permanent machinery will be set up as soon as the proposed legislation is passed by Parliament.

Amalgamation of Ashoka and Janpath Hotels

*227. SHRI N. R. LASKAR :
SHRI R. BARUA :
SHRI ONKAR LAL BERWA :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to State :

(a) whether it is a fact that Government have approved the proposal for the amalgamation of the Ashoka Hotels Ltd. and the Janpath Hotels Ltd.:

(b) if so, how far the amalgamation will help the Hotels; and

(c) whether his Ministry propose to have full control over the management of these Hotels ?

THE MINISTFR OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) to (c). The Administrative Reforms Commission in their report on Public Sector Undertakings had, *inter alia* suggested formation of sector Corporations by grouping together undertakings whose activities fall in the same field and had suggested that the Ashoka Hotels Ltd. and the Janpath Hotels Ltd. could, with advantage, be amalgamated with the India Tourism Development Corporation. Government have decided to accept the recommendations in so far as they relate to these Hotels and to merge them with the I.T.D.C. The details of the proposed merger are now being worked out.

नियमावलियों तथा प्रपत्रों का अनुवाद

*228. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
कुमारी कमला कुमारी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जो नियमावलियां और प्रपत्र आदि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को अनुवादार्थ भेजे जाते हैं उन्हें अब बाहर के अनुवादकों से पारिश्रमिक देकर अनुवाद कराने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बाहर के कितने अनुवादक हैं जिनको अनुवाद कार्य दिया गया है और उनको यह कार्य किस दर पर दिया गया है ;

(ग) जिन अनुवादकों को अब तक यह कार्य दिया गया है उनकी शैक्षणिक योग्यतायें क्या हैं ;

(घ) इस कार्य को करने के लिये अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ङ) क्या यह कार्य विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों के उन व्यक्तियों को दिया जायेगा जो अनुवाद कार्य कर रहे हैं और जिन्हें अनुवाद का पर्याप्त अनुभव है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क). अनुवाद कार्य को शीघ्रता से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि जहां तक सम्भव हो सके, ऐसी नियमावलियों तथा प्रपत्रों का अनुवाद-कार्य, जो कि गोपनीय एवं प्रतिबन्धित नहीं है बाहर के अनुवादकों से पारिश्रमिक देकर कराया जाय ।

(ख) : अभी तक 49 बाहर के अनुवादकों को अनुवाद कार्य दिया गया है । अनुवाद-कार्य के लिये निम्नलिखित दरों पर पारिश्रमिक दिया जायेगा :—

1. (क) **विशिष्ट तकनीकी संहिताएं और नियमावलियां**—6 रुपये प्रति मानक-पृष्ठ, जिसमें तीन सौ शब्दों से कम शब्द नहीं होंगे ।

(ख) **सामान्य प्रकृति की अन्य संहिताएं और नियमावलियां** 5 रुपये प्रति मानक-पृष्ठ, जिसमें तीन सौ शब्दों से कम शब्द नहीं होंगे ।

2. (क) **तकनीकी प्रपत्र** 4 रुपये प्रति प्रपत्र, जिसमें तीन सौ शब्दों से कम शब्द नहीं होंगे ।

(ख) **तकनीकी प्रपत्र** जिसमें दो सौ या कम शब्द होंगे—2 रुपये प्रति प्रपत्र

3. (क) **साधारण प्रपत्र** 3 रुपये प्रति प्रपत्र, जिसमें तीन सौ शब्द से कम शब्द नहीं होंगे ।

(ख) **साधारण प्रपत्र** 2 रुपये प्रति प्रपत्र जिसमें दो सौ शब्दों से कम शब्द नहीं होंगे ।

(ग) अनुवादकों के लिये निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गई हैं :

1. अंग्रेजी तथा हिन्दी में उच्च प्रवीणता ।

2. निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक विषयों के कार्य-सम्बन्धी पहलुओं का ज्ञान—चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरी । कृषि, अर्थशास्त्र और वित्त, लोक प्रशासन और मानविकी ।

3. कार्यालय नियमों और विनियमों की पर्याप्त जानकारी ।

जो सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे हैं, उनके लिये निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं :

1. अंग्रेजी और हिन्दी में उच्च कौटि की प्रवीणता ।

2. अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद का अनुभव ।

3. सरकारी कार्यालयों के नियमों, विनियमों और प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य विषयों के लिये मसौदे तैयार करने और उनकी व्याख्या करने का अनुभव ।

(घ) 1000.

(ङ) जी हां, बशर्ते कि नियोक्ता मंत्रालय और कार्यालय उन्हें कार्यालय-समय के बाद अनुवाद कार्य करने और उसका पारिश्रमिक ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करे ।

Development of Visakhapatnam Port

*229. SHRI RAMAVATAR SHASTRI :
SHRI ESWARA REDDY :

Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) whether the Fourth Plan proposals for the development of Visakhapatnam Port have been finalised;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the estimated cost of the proposals ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) No, Sir. Proposals for the Development of ports during the Fourth Five Year Plan are under consideration in consultation with the Planning Commission.

(b) and (c). Do not arise.

Mithila University, Darbhanga (Bihar)

*230. SHRI K. LAKKAPPA :
SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL :

Will the Minister of EDUCATION be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 595 on the 6th December, 1968 regarding Mithila University, Darbhanga (Bihar) and state :

(a) whether the comments of the Government of Bihar have since been received by the Central Government; and

(b) if so, the decisions taken thereon ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.